न्यायालय : प्रधान जिला न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

(समक्ष : प्रकाश चंद्र आर्य)

Registration No.MJC/90/2025
Filing No.MJC/1173/2025
CNR No.MP3701006179-2025
संस्थित दिनाँक : 26-11-2025

1. बैनीप्रसाद जाटव पिता गोकलप्रसाद जाटव,
   आयु 46 वर्ष,
2. शंकरलाल जाटव पिता गोकलप्रसाद जाटव,
   आयु 66 वर्ष,
3. लता उर्फ हेमलता पति बेनीप्रसाद जाटव
   आयु 42 वर्ष,
   तीनों निवासीगण माना बुधनी, तहसील बुधनी,
   जिला–सीहोर (म.प्र.) – – – – **आवेदकगण**

:: ब ना म ::

1. दीपक कुमार अरोरा पिता जयकुमार, आयु 46 वर्ष,
2. सीमा पिता जयकुमार, आयु 42 वर्ष,
3. चित्रा पिता जयकुमार, आयु 32 वर्ष,
4. जयकुमार अरोरा पिता चन्द्रभान, आयु 65 वर्ष
   चारों निवासीगण–वार्ड नंबर 7, बुधनी,
   तहसील बुधनी, जिला–सीहोर, (म.प्र.)
5. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर,
   जिला सीहोर, (म.प्र.) – – – – **अनावेदकगण**

उपस्थिति में : आवेदकगण द्वारा श्री मनीष सराठे अधिवक्ता।
अनावेदक क्र.–1 से 4 द्वारा श्री जितेन्द्र व्यास अधिवक्ता।
अनावेदक क्र.–5 एक पक्षीय।

–:: आदेश ::–

(आज दिनांक 17.02.2026 को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा आवेदकगण बैनीप्रसाद आदि द्वारा प्रस्तुत धारा 24 व्य.प्र.सं. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बुदनी जिला सीहोर

(सुश्री सपना शिवहरे) के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद क्रमांक आर. सी.एस.ए.–65/2024 (दीपक कुमार विरूद्ध बैनी प्रसाद आदि) तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बुधनी जिला सीहोर (श्रीमती मिताली पाठक शर्मा) के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद क्रमांक आर.सी.एस.ए–55/2023 (बैनीप्रसाद आदि विरूद्ध दीपक आदि) का एक ही न्यायालय द्वारा सुनवाई किये जाने संबंधी आवेदन–पत्र का निराकरण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 24 व्य.प्र.सं. में मूलतः यह आधार लिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुधनी के प्र.क्र.–85/बी–121/2023–24 बेनीप्रसाद विरूद्ध दीपक व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बुधनी जिला सीहोर (श्रीमती मिताली पाठक शर्मा) के न्यायालय में व्यवहार वाद क्र. –आर.सी.एस.ए–55/2023 बैनीप्रसाद वि0 दीपक व अन्य प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी ओर से प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार किया गया था एवं अन्य एक अन्य व्यवहार वाद आर. सी.एस.ए–65/2024 दीपक वि0 बैनीप्रसाद व अन्य व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुधनी जिला–सीहोर (सुश्री सपना शिवहरे) के न्यायालय में लंबित है। उक्त प्रकरण में आवेदकगण, प्रतिवादीगण हैं। उक्त प्रकरण में वादीगण प्रभाव वाले व्यक्ति हैं, इस कारण उक्त प्रकरण के पीठासीन अधिकारी का व्यवहार व कार्यशैली प्रारंभ से ही आवेदकगण के प्रतिकूल रही है।

3. आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन–पत्र में यह भी व्यक्त किया गया है कि उनके अधिवक्ता जब भी पीठासीन अधिकारी सुश्री सपना शिवहरे के न्यायालय में लंबित प्रकरण की पैरवी हेतु जाते तो वह ठीक तरह से बात नहीं करती, जोर–जोर से चिल्लाती एवं कई घंटे उन्हें खड़ा रखती, जिस कारण उनके अधिवक्ता को अनावश्यक पेशी पर आने पर रूकना पड़ता

है और कहा जाता है कि उनके न्यायालय में उनसे संबंधित जितने भी प्रकरण हो उन्हें ट्रांसफर करा ले। पीठासीन अधिकारी सुश्री सपना शिवहरे के न्यायालय में लंबित उक्त वाद में आवेदकगण के साथ पक्षपात होने एवं उन्हें न्याय मिलने की संभावना नहीं है। पीठासीन अधिकारी श्रीमती मिताली पाठक शर्मा एवं सुश्री सपना शिवहरे के न्यायालय में लंबित दोनों प्रकरणों के पक्षकार समान है। अतः आवेदन स्वीकार कर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुधनी जिला–सीहोर सुश्री सपना शिवहरे के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद आर.सी.एस.ए–65/2024 दीपक वि0 बैनीप्रसाद व अन्य को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. प्रकरण में उपस्थित अनावेदकगण की ओर से आवेदन–पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर आवेदकगण के आवेदन–पत्र में लिये गये अभिवचनों को अस्वीकार कर मूलतः यह व्यक्त किया है कि प्रकरण के पक्षकारगण बुधनी के निवासी हैं एवं वादग्रस्त संपत्ति भी बुदनी के क्षेत्राधिकार अंतर्गत है और यदि असत्य एवं निराधार कारणों के आधार पर प्रकरणों का अंतरण किया जाता है तो दोनों पक्ष को समस्या का सामना करना होगा। अतः आवेदकगण का आवेदन–पत्र औचित्यहीन व निराधार होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. सुश्री सपना शिवहरे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बुधनी से प्रस्तुत धारा 24 सी.पी.सी. के आवेदन–पत्र के संबंध में अपना अभिमत चाहे जाने पर उनके द्वारा दी गई टीप में मूलतः यह व्यक्त किया है कि उनके न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद आर.सी.एस.ए–65/2024 दीपक वि0 बैनीप्रसाद व अन्य में पूर्ण निष्ठा एवं विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है, वास्तव में आवेदकगण उनके न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद में प्रतिवादीगण हैं और उनके अधिवक्ता ने न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रति असंतुष्टि व्यक्त की थी जबकि उन्हें समक्ष प्राधिकारी के समक्ष आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। आवेदक/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता पर भी कार्यवाही

के दौरान अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में संदर्भित आदेश पत्रिकाओं का उल्लेख करते हुए किये गये आक्षेप निराधार, असत्य और तुच्छ प्रकृति के दबाव बनाये जाने की मंशा के बताये हैं एवं उन्हें प्रकरण के शीघ्र निराकरण में सहयोग नहीं करना बताया है, इसके बावजूद भी यदि अंतरण किया जाता है तो अनापत्ति व्यक्त की है। आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त टीप का भी लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर खण्डन किया है।

6. उभयपक्ष को सुना गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में आवेदन–पत्र में लिए गए आधारों को दोहराते हुए प्रकरण का अन्यत्र न्यायालय में अंतरण किये जाने की प्रार्थना की गई है जबकि अनावेदकगण की ओर से अपने तर्कों में उनके जबाव में लिये आधार अनुरूप ही तर्क करते हुए आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

7. योग्य विचारण न्यायालयों से प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक आर. सी.एस.ए.–65/2024 (दीपक कुमार विरूद्ध बैनी प्रसाद आदि) एवं व्यवहार वाद क्रमांक आर.सी.एस.ए–55/2023 (बैनीप्रसाद आदि विरूद्ध दीपक आदि) का अवलोकन किया गया।

8. मूल आवेदन–पत्र में व्यवहार वाद आर.सी.एस.ए–65/2024 दीपक वि0 बैनीप्रसाद जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बुधनी के न्यायालय में लंबित है, के पीठासीन न्यायाधीश की प्रक्रिया एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार को लेकर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न किया है, अन्य कोई आक्षेप संनिष्ठा बावत् नहीं है, इसलिए आवेदन–पत्र में जो आक्षेप किए गए है, वे इस प्रकृति के इस न्यायालय के मत में प्रतीत नहीं होते है, जिससे उक्त प्रकरण का अंतरण उक्त आधारों पर किसी अन्य न्यायालय में किया जाए और विधि आदेशों के संबंध में यदि कोई पक्ष असंतुष्ट रहता है तो उसे विधि अनुसार वरिष्ठ न्यायालय में विधिक कार्यवाही करते हुए संदर्भित आदेश को चुनौती

देने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आवेदकगण भी करने हेतु स्वतंत्र है इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता कि किसी पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त ना हुआ या उनके साथ पक्षपात किया गया।

9. योग्य विचारण न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बुधनी जिला सीहोर (श्रीमती मिताली पाठक शर्मा) के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद आर.सी.एस.ए–55/2023 ''बैनीप्रसाद व अन्य विरूद्ध दीपक कुमार अरोरा'' आवेदक/वादीगण के आवेदन–पत्र आदेश 7 नियम 14 आई.ए.नं.–02/2026 के जबाव हेतु नियत है एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुधनी जिला–सीहोर (सुश्री सपना शिवहरे) के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद आर.सी.एस.ए–65/2024 दीपक वि0 बैनीप्रसाद व अन्य वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

10. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुधनी जिला–सीहोर (सुश्री सपना शिवहरे) के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद आर.सी.एस.ए–65/2024 दीपक वि0 बैनीप्रसाद व अन्य को Action Plan for Arrears Reduction in District Judiciary (APAaR-DJ) में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में चिन्हित प्रकरणों की सूची में सम्मिलित नहीं है।

11. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बुधनी जिला सीहोर (श्रीमती मिताली पाठक शर्मा) के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद व्यवहार वाद क्र. आर.सी.एस.ए–55/2023 ''बैनीप्रसाद व अन्य विरूद्ध दीपक कुमार अरोरा'' Action Plan for Arrears Reduction in District Judiciary (APAaR-DJ) में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी मेमो No.-C/4199/III-1-5/57 Jabalpur, dated 18.06.2025 की पंचम चरण की सूची के सरल क्र.–17 पर चिन्हित है।

12. दोनों ही न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद में पक्षकार समान है और वादग्रस्त संपत्ति भी बुधनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही है किन्तु दोनों ही प्रकरण वर्तमान में पृथक–पृथक न्यायालय में विचाराधीन है और दोनों प्रकरणों को किसी एक ही न्यायालय में विचारण हेतु अंतरण किए जाने पर किसी भी पक्ष को कोई असुविधा या क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है तथा दोनों प्रकरणों के गुण–दोषों पर निराकरण में भी सुविधा निष्कर्ष निकालने में रहेगी। इस दृष्टिकोण से भी किसी एक न्यायालय में दोनों प्रकरणों का विचारण किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

13. आवेदकगण की ओर से जो आधार आवेदन–पत्र में लिये गये हैं, उससे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बुधनी जिला सीहोर श्रीमती मिताली पाठक शर्मा के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद व्यवहार क्र. आर.सी.एस.ए–55/2023 (APAaR-DJ) में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में चिन्हित प्रकरण की सूची में सम्मिलित है, जिसे अंतरित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा किन्तु व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुधनी जिला–सीहोर (सुश्री सपना शिवहरे) के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद आर.सी.एस.ए–65/2024 दीपक वि0 बैनीप्रसाद व अन्य (APAaR-DJ) में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में चिन्हित प्रकरण की सूची में सम्मिलित नहीं होने से तथा दोनों प्रकरणों में भिन्न–भिन्न निष्कर्ष के बचाव के उद्वेश्य से उक्त प्रकरण को उनके न्यायालय से प्रत्याहरित किया जाना न्यायोचित होगा।

14. फलतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को विचार में लाते हुए आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 24 व्य.प्र.सं. **स्वीकार** करते हुए व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुधनी जिला–सीहोर (सुश्री सपना शिवहरे) के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद आर.सी.एस.ए–65/2024 दीपक वि0 बैनीप्रसाद व अन्य को प्रत्याहरित कर विधिवत सुनवाई एवं शीघ्र निराकरण हेतु व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त

न्यायाधीश, बुधनी जिला सीहोर (श्रीमती मिताली पाठक शर्मा) के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

15. उभयपक्ष एवं उनके अधिवक्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25.02.2026 को सुबह 11:00 बजे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बुधनी जिला सीहोर (श्रीमती मिताली पाठक शर्मा) के न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।

16. आदेश की प्रति के साथ संबंधित न्यायालयों के मूल अभिलेख सूचनार्थ एवं पालनार्थ वापस भेजे जाये।

दिनांक : 17.02.2026
स्थान : सीहोर

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।
हस्ता0/–
(प्रकाश चंद्र आर्य)
प्रधान जिला न्यायाधीश,
सीहोर (म.प्र.)

PRAKASH CHANDRA ARYA
Digitally signed by PRAKASH CHANDRA ARYA
Date: 2026.02.17 17:13:05 +0530